पत्रांक-अ0सं0क0-08-29/2009 पार्ट......./

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

रशीद अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
किशनगंज

पटना, दिनांकः- ....

विषयः- **11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एम0एस0डी0पी0 के तहत कार्यान्वित योजनाओं का शत प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के संबंध में ।**

प्रसंगः- **आपका पत्रांक 15/जि0अ0क0 दिनांक 19.01.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का कृपया स्मरण किया जाये । उक्त पत्र के आलोक में नये प्राथमिक विद्यालय में तीन वर्ग कक्ष, एक कार्यालय सीढ़ी एवं रसोई घर सहित योजना (54 इकाई) में द्वितीय किस्त केन्द्रांश मद की राशि विमुक्ति के प्रत्याशा में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 569 दिनांक 9.2.2015 के द्वारा उक्त राशि आवंटित की गई थी। अबतक प्रथम किस्त केन्द्रांश की सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को अप्राप्त है । जिस कारण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया जा सका है परिणाम स्वरूप द्वितीय किस्त की राशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि उक्त योजना की विमुक्त प्रथम किस्त केन्द्रांश मद की राशि 271.40 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाये ताकि इसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए द्वितीय किस्त की राशि के विमुक्ति हेतु अनुरोध किया जा सके ।

विश्वासभाजन
ह0/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक ...1290 दिनांक ...18/5/16

प्रतिलिपि- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव